FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0155 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/07/2024 18:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/07/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:45 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/07/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/07/2024 18:49:25 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** BINJASAR, DHANAU
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):** BARMER(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VENIDAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMCHANDRA DAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BINJASAR, DHANAU, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BINJASAR, DHANAU, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMU LAL		पिता:RAMGOPAL	1. NADI KI DHANI PRATAPPURA,SUNARA NIWAI,TONK,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि	2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, अर्ज एक प्रार्थी श्री वेणीदान पुत्र श्री रामचन्द्र दान जाति चारण उम्र 47 साल पेशा खेतीबाडी निवासी बींजासर तहसील धनाउ जिला बाडमेर की इस प्रकार हैं कि मेरे परिवार मे मेरे नाम, मेरे पिताजी रामचन्द्रदान, मेरी माताजी ऐजनो देवी, मेरे भाई आम्बदान, मेरी पत्नी माकौर के नाम बींजासर ग्राम सेवा सहकारी समिति बीजासर से सोसायटी ले रखी है। मेरे परिवार के उक्त सभी के सोसायटी की साख सीमा बढाने/रिन्युल करवाने हेतु पटवारी पटवार मण्डल बींजासर से रिन्युल फार्म भरने हेतु नकल जमाबन्दी व नक्शा लेने तथा मेरे भाई आम्बदान पुत्र श्री रामचन्द्रदान व मेरी माता श्रीमति एंजना कंवर पत्नि श्री रामचन्द्रदान के राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत (टांका, बेरी, खडीन, भूमि समतलीकरण आदि) कार्य करवाने हेतु इनके आवेदन पत्रों में पटवारी से भूमि रिकॉर्ड का इन्द्रांज कराने हेतु मै दो-तीन दिन पहले व आज सुबह श्री रामूलाल, पटवारी पटवार मण्डल बींजासर से मिला तो उसने मेरे व मेरे परिवार के शाखा सीमा बढाने का फार्म तैयार करने हेतु राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी, नक्शा देने तथा मेरे भाई व मेरी माताजी के आवेदन पत्रों में हमारे भूमि रेकर्ड का इन्द्रांज करने की एवज मे 4000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की। जिस पर मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, इतने पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे ये सोसायटी के कागजात तैयार करने हेतु राजस्व रेकर्ड दो जिससे मैं सोसायटी उठाकर आपको पैसे दे दूंगा, किन्तु पटवारी ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया व कहा चाहे कहीं से लाओ मुझे खर्चा पानी दोगे तो ही मैं कागजात तैयार करके दूंगा, अन्यथा आप ये आपके फॉर्म वापिस ले जाओ, जिस पर मैने उस समय मेरे पास रखे 700 रूपये उसी वक्त उसे दिये व शेष राशि काम होने के बाद देने का कहा, तब जाकर उसने मेरे फॉर्म लिये व कहा कि एक-दो दिन बाद 3000 रू. ओर लेकर आना व आपके कागजात ले जाना। मै पटवारी श्री रामूलाल पटवार मण्डल बींजासर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, किन्तु वो बिना पैसे मेरे फॉर्म ही नहीं ले रहा था, इसलिए मजबूरन उसे रिश्वत देनी पडेगी, किन्तु मैं उसे रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरे व श्री रामूराम पटवारी के बीच कोई रंजिश नहीं हैं, न ही कोई रूपये पैसों का लेनदेन बकाया हैं। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश हैं। -एस.डी.- गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन/25.07.2024 -एस.डी.- गवाह श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक/25.07.2024 प्रार्थी -एस.डी.- श्री वेणीदान पुत्र रामचन्द्र दान, जाति चारण, निवासी बींजासर, तहसील धनाऊजिला बाडमेर मोबाईल नं. [redacted] -एस.डी.- किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 वक्त 02.15 पी.एम. पर प्रार्थी श्री वेणीदान पुत्र श्री रामचन्द्रदान, जाति चारण, उम्र 47 साल, पेशा खेती बाड़ी निवासी बींजासर तहसील धनाऊ जिला बाडमेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति के इस आश्य की पेश की कि मेरे परिवार में मेरे नाम, मेरे पिताजी रामचन्द्रदान, मेरी माताजी ऐजनो देवी, मेरे भाई आम्बदान, मेरी पत्नी माकौर के नाम बींजासर ग्राम सेवा सहकारी समिति बीजासर से सोसायटी ले रखी हैं। मेरे परिवार के उक्त सभी के सोसायटी की साख सीमा बढाने/रिन्युल करवाने हेतु श्री रामूलाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर से कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी व नक्शा देने तथा मेरे भाई श्री आम्बदान व माता श्रीमति एंजना कंवर के नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत (टांका, बेरी, खडीन, भूमि समतलीकरण आदि) कार्य करवाने हेतु इनके आवेदन पत्रों में भूमि रिकॉर्ड का इन्द्रांज करवाकर हस्ताक्षर करवाने हेतु मैं दो-तीन दिन पहले व आज सुबह श्री रामूलाल, पटवारी पटवार मण्डल बींजासर से मिला तो उसने मेरे व मेरे परिवार के शाखा सीमा बढाने का फार्म तैयार करने हेतु राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी, नक्शा देने तथा मेरे भाई व मेरी माताजी के आवेदन पत्रों में हमारे भूमि रेकर्ड का इन्द्रांज करने की एवज मे 4000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की। जिस पर मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, इतने पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे ये सोसायटी के कागजात तैयार करने हेतु राजस्व रेकर्ड दो जिससे मैं सोसायटी उठाकर आपको पैसे दे दूंगा, किन्तु पटवारी ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया व कहा चाहे कहीं से लाओ मुझे खर्चा पानी दोगे तो ही मैं कागजात तैयार करके दूंगा, अन्यथा आप ये आपके फॉर्म वापिस ले जाओ, जिस पर मैने उस समय मेरे पास रखे 700 रूपये उसी वक्त उसे दिये व शेष राशि काम होने के बाद देने का कहा, तब जाकर उसने मेरे फॉर्म लिये व कहा कि एक-दो दिन बाद 3000 रू. ओर लेकर आना व आपके कागजात ले जाना। मैं पटवारी पटवार मण्डल बींजासर को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री रामूलाल पटवारी के बीच कोई रंजिश नहीं हैं, न ही कोई रूपये पैसों का लेनदेन बकाया हैं। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने

रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से एच.एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया, जिन्हें ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री वेणीदान से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. नं. 56 को कार्यालय कक्ष में तबल कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. को समझाईस की गई। इस दोरान परिवादी ने बताया कि अभी मैंने मालुमात की हैं पटवारी हल्के में कहीं बाहर गया हुआ हैं। कल दिनांक 23.07.2024 को मैं उनके पास जाकर वार्तालाप करूंगा, इसलिए एसीबी कॉर्मिक को कल मेरे पास भेजा जावें। जिस पर हाजिर श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अपने पास सुरक्षित रखने व दिनांक 23.07.2024 को प्रातः चौकी हाजा से ग्राम बींजासर की तरफ रवाना होकर वक्त 10.00 ए.एम. तक परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित कर मुनासिब हिदायत की गई। चूंकि मन् उप अधीक्षक पुलिस को चौकी हाजा के दीगर प्रकरणों के अनुसंधान हेतु दिनांक 23.07.2024 को जैसलमेर जाना था, लिहाजा जो भी स्थिति हो जरिये दूरभाष अविलम्ब अवगत कराने हेतु श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. को निर्देशित किया गया। परिवादी को भी मुनासिब हिदायत कर फॉरिक किया गया। दिनांक 23.07.2024 को बाड़मेर से जैसलमेर जाते समय रास्ते में श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. ने जरिये वॉट्सअप कॉल अवगत कराया कि आज परिवादी ने आरोपित पटवारी के मुख्यालय पर नहीं होने की सूचना दी हैं, इसलिए सत्यापन हेतु कल दिनांक 24.07.2024 को जाना हैं, जिस पर श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. को सत्यापन बाबत् एक बार पुनः मुनासिब हिदायत की गई थी। दिनांक 24.06.2024 की सांय को मन् उप अधीक्षक पुलिस जैसलमेर से बाद राजकार्य चौकी हाजा पर उपस्थित आया, उस दिन निर्देशानुसार श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. वास्ते सत्यापन ग्राम बींजासर को गया हुआ मय परिवादी श्री वैणीदान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित मिला, जिसने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के स्वीच ऑफ स्थिति में मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार आज प्रातः चौकी हाजा से जरिये राजकीय मोटर साईकिल के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के रवाना होकर ग्राम बींजासर पंहुच परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन के पास उपस्थित मिला, जिसने बताया कि बींजासर स्कूल के लिए गांव से बाहर आम सड़क पर नया भवन बन गया हैं, अब बच्चे वहां जाते हैं, स्कूल के इस पुराने भवन में कुछ अध्यापक एंव आरोपित पटवारी श्री रामूलाल का निवास हैं, इस समय पटवारी स्कूल के इस पुराने भवन में ही मौजूद हैं, जिस पर मैंने परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबध में समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री रामूलाल पटवारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन में स्थित आरोपित पटवारी के आवास की तरफ किया गया, तथा मैं वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार में व्यस्त हुआ। करीबन 6-7 मिनट बाद परिवादी स्कूल के पुराने भवन में से निकलकर मेरे पास निश्चित स्थान पर उपस्थित आया, जिनसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मैंने मेरी स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। सत्यापन के संबध में परिवादी ने बताया कि आरोपित पटवारी स्कूल के पुराने भवन में स्थित एक कमरे में उपस्थित मिला, जिसके पास एक ओर आदमी बैठा था, मैंने मेरे काम के बारे में बात की तो पटवारी ने खर्चा पानी का कहा, तो मैंने कहा बोलो कितने, और पहले भी पैसों के बिना मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि बोलो कितने, तो उसने कहा कि तीन हजार लगेगें, मैंने कहा कि आपने मेरा काम कर दिया, तो उसने मेरे से 1000 रू. ले लिये व कहा कि कर दूंगा, आप 2000 रू. ओर दे देना, मैंने कहा दे दूंगा, तो उसने कहा कि शाम तक या कल दे देना, मैं हां कहकर आ गया हूं, अभी तक उसने मेरा कोई भी काम नहीं किया हैं। वो शेष 2000 रू. लेकर ही मेरा काम करेगा। हाजिर परिवादी श्री वैणीदान द्वारा श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. के कथनों की पुष्टि की गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुनने पर श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. व परिवादी श्री वैणीदान द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए परिवादी श्री वैणीदान से आरोपी श्री रामूलाल पटवारी द्वारा 3000 रू. रिश्वत राशि की मांग कर दौराने सत्यापन 1000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं शेष रिश्वत राशि 2000 रुपये की मांग करना पाया गया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाकर उस समय तक की हुई कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन कर आरोपित पटवारी के विरूद्ध दिनंाक 25.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री वैणीदान को उक्तानुसार दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 9.00 ए.एम. पर आरोपित पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रू. सहित पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने व प्रकरण में पूर्ण गोपनीयत बरतने हेतु पाबन्द कर फॉरिक किया गया। तत्पश्चात श्री सुराब हैड

कानि. के माध्यम से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये तेहरीर दो स्वतंत्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक, नगर परिषद बाड़मेर को मामुर करवाकर इन्हें दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाया गया, व उक्तानुसार कार्यालय स्टाफ को भी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित करवाया गया। दिनांक 25.07.2024 को निर्देशानुसार ब्यूरो स्टाफ एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान नियत समय पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री वैणीदान भी उपस्थित आये व आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रू. साथ में लेकर आना बताया, जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री घमण्डाराम पुत्र श्री भोमाराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी डऊकियों की ढाणी, खड़ीन जिला बाडमेर हाल फायरमैन नगर परिषद बाडमेर व श्री मनोज कुमार पुत्र श्री चम्पालाल, जाति वाल्मिकी, उम्र 55 साल, निवसी बापू कॉलोनी बाड़मेर, हाल कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद बाड़मेर के रूप में दिया। दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री वैणीदान से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सुनाई गई। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री वेणीदान से आरोपी श्री रामूलाल पटवारी पटवार मण्डल बींजासर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 4 नोट, कुल राशि 2000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 AW 668711 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 WQ 993004 3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 HS 016767 4 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 GE 589386 कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री सुराब खां हैड़ कानि. 97 से खुलवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री रघुवीरसिह कानि. नं. 143 से उक्त 2000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री वेणीदान की जामा तलाशी गवाह श्री घमण्डाराम फायरमेन से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी श्री वेणीदान के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में श्री रघुवीरसिह कानि. से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री रामूलाल पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस या सत्यापनकर्ता श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रघुवीरसिंह कानि. के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को ऑफिस से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री रघुवीरसिंह कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाई जाकर श्री सुराब खा हैड़ कानि. नं. 97 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त टेªप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री अनूपसिह हैड कानि. 44, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक एंव परिवादी श्री वैणीदान के चौकी हाजा के

राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं प्राईवेट वाहन अर्टिगा नं. आर.जे. 39 यूए 0469 मय चालक श्री धर्मसिंह के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, टेम्प बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर ग्राम बींजासर स्थित राजकीय विद्यालय के पुराने भवन के पास पंहुच परिवादी श्री वैणीदान को राजकीय वाहन से नीचे उतारकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर सुपुर्द कर आरोपित श्री रामूलाल पटवारी से रिश्वती राशि लेन-देन हेतु रवाना आरोपित के आवास राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद परिवादी श्री वैणीदान बिना कोई ईशारा किये राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन के मैन गेट से निकलकर अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते-रास्ते रवाना हुआ, जिनसे गोपनीय रूप से सम्पर्क कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया, एंव पूछने पर परिवादी ने बताया कि आरोपित पटवारी अपने कक्ष में नहीं था, जिस पर स्कूल परिसर से निकलकर वापस आ गया। जिस पर सांय तक आरोपित पटवारी का इन्तजार किया, किन्तु आरोपित पटवारी का अपने निवास पर वापस आना नहीं पाया गया, इसी दौरान परिवादी श्री वैणीदान ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि आज पटवारी वापस गांव में नहीं आकर धणाऊ में ही रहेगा, कल प्रातः 10 ए.एम. तक वापस आयेगा, इसलिए आज लेन-देन कार्यवाही होना संभव नहीं हैं। जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन के माध्यम से परिवादी को सुपुर्द फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 2000 रू. पुनः प्राप्त कर प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. से एक कागज के लिफाफे में डलवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को प्रकरण में गोपनीयता की हिदायत कर दिनांक 26.07.2024 को प्रातः बींजासर ग्राम के बाहर नियत स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द फॉरिक किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जरिये प्राईवेट एंव राजकीय वाहन के ग्राम बींजासर से रवाना होकर एसीबी ओपी बाडमेर पंहुच ट्रेप बॉक्स, पत्रावली, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर आदि मन् उप अधीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से कार्यालय मालखाना में रखवाये गये । दोनों स्वतन्त्र गवाहान, प्राईवेट वाहन मय चालक श्री धर्मसिंह एंव कार्यालय स्टाफ को दिनांक 26.07.2024 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर फॉरिक किया गया। दिनांक 26.07.2024 को ब्यूरो स्टाफ व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक तथा चालक श्री धर्मसिंह मय प्राईवेट वाहन अर्टिगा नं. आर.जे. 39 यूए 0469 के नियत समय पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर परिवादी श्री वैणीदान को पूर्व नियत स्थान पर उपस्थित मिलने हेतु जरिये मोबाईल निर्देशित कर मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं प्राईवेट वाहन अर्टिगा नं. आर.जे. 39 यूए 0469 मय चालक श्री धर्मसिंह के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर ग्राम बींजासर की सरहद में पहुंच परिवादी श्री वैणीदान से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि अभी तक आरोपित पटवारी वापस अपने निवास पर नहीं आया हैं, जो अभी तक ग्राम धणाऊ में ही अपने किसी स्टाफ के साथ उनके रूम पर हैं, मैंने गोपनीय रूप से मालुमात किया तो दोपहर बाद लगभग डेढ-दो पी.एम. पर वापस ग्राम बींजासर में अपने निवास पर आना जानकारी में आया हैं, जिस पर परिवादी को सजग रहते हुए आरोपित के वापसी की सत्त जानकारी रखने एंव वापसी होते ही अविलम्ब जानकारी में देने की हिदायत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान सरहद बींजासर व मिठे का तला तथा आस-पास के क्षेत्रों में गोपनीय रूप से मौजूद रहकर आरोपित की वापसी की सूचना के इन्तजार में कुछ समय तक व्यस्त रहे किन्तु परिवादी की तरफ से आरोपित की ग्राम बींजासर में अपने निवास पर उपस्थिति बाबत् कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, जिस पर परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि अभी तक आरोपित वापिस नहीं आया हैं, करीब घण्टे भर बाद बींजासर आने की संभावना हैं, लिहाजा इस दरम्यि०न समस्त हमराहियान को आस-पास में स्थित भोजनालय/होटल पर लन्च करने हेतु फॉरिक किया जाकर तलबी पर अविलम्ब उपस्थित होने की हिदायत की गई। इसी दौरान परिवादी द्वारा आरोपित पटवारी श्री रामूलाल मीणा के ग्राम बींजासर में स्थित राजकीय विद्यालय के पुराने भवन में अपने निवास पर आने की जानकारी दी गई, जिस पर परिवादी को उक्त विद्यालय के पास ही नियत स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर समस्त जाब्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को बाद लंच के एक स्थान पर तलब कर जरिये प्राईवेट एंव राजकीय वाहन के सभी रवाना होकर ग्राम बींजासर स्थित राजकीय विद्यालय के पुराने भवन के पास पंहुचा, जहां नियत स्थान पर पूर्व पाबन्द सुदा परिवादी श्री वैणीदान उपस्थित मिला, जिसने बताया कि पटवारी श्री रामूलाल अभी घण्टा भर पहले अपने निवास पर आया हैं, जो अभी यहीं मौजूद हैं, जिस पर परिवादी श्री वैणीदान से एक बार पुनः रिश्वती राशि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस-पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवश्यक ब्रीफिंग

की गई। बाद श्री सोहनराम हैड कानि. के माध्यम से परिवादी श्री वैणीदान को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रांलसुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर सुपुर्द करवाकर आरोपी श्री रामूलाल पटवारी से रिश्वती राशि लेन-देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना आरोपित के आवास राजकीय स्कूल बींजासर के पुराने भवन की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद वक्त 02.45 पी.एम. पर स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री वेणीदान ने आरोपित पटवारी के आवास "राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन के बरामदे" में से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल से हमराह जाब्ता के श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33 के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री सोहनराम हैड कानि. द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान मय राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन के राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन के आगे पंहुच सड़क पर वाहनों को छोड़कर विद्यालय भवन के मैन गेट से अन्दर प्रवेशित होकर आरोपित के आवास "राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन के बरामदे" में खड़े परिवादी श्री वैणीदान के पास पंहुचा तो परिवादी ने बरामदे में लगी एक चारपाई व कम्पयुटर टेबल व कुर्सी के पास सफेद रंग का तौलिया व बनियान पहने हुए खड़े एक व्यक्ति की तरफ हाथ से ईशारा कर बताया कि यही श्री रामूलाल पटवारी हैं, जिसने अभी-अभी मेरे से 2000 रू. रिश्वती राशि प्राप्त कर अन्दर रूम में हैंगर पर टंगी अपनी पैण्ट की जेब में रखकर बाहर बरामदे में आकर मेरे पास खड़े हुए तथा मेरे फॉर्म व जमाबंदी-नक्शे आदि रेकर्ड मुझे देने हेतु इस कम्पयुटर टेबल पर रखे हैं। इस दौरान परिवादी से पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अभिरक्षा में रखकर परिवादी द्वारा निशांदेह किये गये आरोपित श्री रामूलाल पटवारी को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाया गया एंव इस दोरान हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से उनके निजी मोबाईल में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर आरोपित का परिचय पूछा गया तो उसने अपना परिचय श्री रामूलाल पुत्र श्री रामगोपाल, जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम नाडी की ढाणी प्रतापपुरा, पोस्ट सुनारा, तहसील निवाई, जिला टोक, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री रामूलाल पटवारी को परिवादी श्री वैणीदान को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी कुछ देर तक बिना कुछ बोले निरूत्तर रहा, फिर पुनः पूछने पर घबराते हुए परिवादी से जान पहचान होना व नाम वैणीदान बताया। रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में कुछ नहीं बताया एंव बार-बार पूछने के बावजूद ट्रेप दल के सामने देखते हुए चुपचाप खड़े रहे, जिस पर आरोपित को दिलासा देकर ढाढंस बंधाते हुए तसल्ली से पुनः रिश्वती राशि प्राप्त करने व कहां रखी जाने के बारे में पूछा गया तो परिवादी से पैसे लेना स्वीकार कर अन्दर कमरे की तरफ ईशारा कर बताया कि अन्दर रखी हैं, व कहा कि कुछ रोज पहले श्री वैणीदान मेरे से रूपये उधार लेकर गये थे, जो आज इनसे वापिस प्राप्त किये हैं, जिस पर हाजिर परिवादी ने आरोपित के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि मैंने इनसे कोई पैसे उधार नहीं लिये हैं, इन्होनें मेरा भूमि रेकर्ड देने व आवेदन पत्र भरने की ऐवज में रिश्वती राशि की मांग कर 2000 रू. रिश्वत के रूप में लिये हैं, जो इन्होनें अपने हाथों से प्राप्त कर अन्दर कमरे में हैंगर पर टंगी पैण्ट की जेब में रखे थे। तथा 1000 रू. पिरसों भी मेरे से रिश्वत के लिये थे, जिस पर आरोपित पटवारी घबरा गया एंव हड़बड़ाते हुए हाथ जोड़कर गलती होना स्वीकार किया। रिश्वती राशि कहां पर रखी हुई हैं, के बारे में पूछने पर ट्रेप दल व गवाहान के साथ बरामदे से कमरे में चलकर अन्दर हैंगर पर टंगी भूरे रंग की एक पैण्ट की तरफ हाथ से ईशारा किया, जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन से उक्त पैण्ट को हैंगर से उतरवाकर पैण्ट के जेबों की तलाशी लिरवाई गई तो पैण्ट के बांये साईड की जेब में भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 04 नोट, कुल राशि 2000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन के पास सुरक्षित रखवाई गई। इसके अलावा आरोपी के पैण्ट के पीछे की जेब में एक काले रंग का बटुआ मिला, जिसे स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन से चेक करवाया तो बटुअे में 555 रू. नगद एंव आरोपी श्री रामूलाल मीणा का एस.बी.आई. बैंक ए.टी.एम. कार्ड नं. 6522 9403 8863 4597, बैंक ऑफ बडोदा ए.टी.एम. कार्ड नं. 6521 5106 3478 6201, पैन कार्ड नं. बी डब्लु एस पी एम 8364 जी, नेशनल पैन्शन सिस्टम कार्ड परमानेंट रिंटायरमेण्ट अकाउण्ट नं. 110024755630, एक मूल आर.सी. वाहन नं. मारूति सुजुकी स्वीफ्ट डिजायर नं. आर.जे. 45 सीवी 3871 व आधार कार्ड नं. 2760 5196 0163 पाये गये, उक्त सभी दस्तावेजात आरोपित श्री रामूलाल मीणा स्वयं के नाम के होना पाये गये। उक्त बटुए में मिली राशि 555 रू. स्वयं की जेब खर्च राशि एंव दस्तावेजात स्वयं के होने से जरूरत पर उपयोग हेतु अपने बटुए में रखे होना आरोपित द्वारा बताया गया, उक्त प्रत्युत्तर संतोषजनक होने एंव प्रकरण में इनकी आवश्यकता नहीं होने से बटुआ मय राशि एंव दस्तावेजात के आरोपी श्री रामूलाल मीणा को पुनः सुपुर्द किया गया तथा रिश्वती राशि बरामदगी से संबधित आरोपित की पैण्ट स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री रामूलाल मीणा

पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्कूल भवन में लगे आर.ओ. में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री रामूलाल मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री रामूलाल मीणा पटवारी के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामूलाल मीणा पटवारी के रूम में हैंगर पर टंगी हुई उसकी पैण्ट जिसके बांये साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद होने से उक्त पैण्ट की जेब का भी धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन जिन्हें पूर्व में आरोपित की उक्त पैण्ट सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर चैक किया गया तो उक्त भूरे रंग की पैण्ट जिसके पीछे कमर पर अन्दर की तरफ एक लाल रंग की पट्टी लगी होकर उस पर "JOHN PLAYERS ORIGINAL CASUALS" नाम प्रिण्ट सुदा हैं। पूर्ववत् उक्त पैण्ट के बांये साईड की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी की पैण्ट के बांये साईड की जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। बाद उक्त पैण्ट की जेब को कुछ देर तक बाहर धूप में सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ आरोपी श्री रामूलाल पटवारी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-पी. अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. के निजी मोबाईल में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, जिसे पृथक से हस्ब कायदा सील्ड मोहर किया जायेगा । तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 04 नोट, कुल राशि 2000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे० की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात के बारे में एक बार पुनः आरोपित पटवारी व परिवादी से पूछा गया तो आरोपित ने बताया कि मैंने इनके नरेगा आवेदन पत्रों में इनके भूमि रेकार्ड का अंकन कर मेरे हस्ताक्षर मय कार्यालय के आज की तारीख में कर दिये हैं तथा साथ ही इनके द्वारा चाही गई इनकी भूमि के विभिन्न खसरों की जमाबन्दियां व नक्शों की प्रतियों को हस्ताक्षर मय कार्यालय मौहर से प्रमाणित कर दिये हैं, जो रेकर्ड मैंने इनके सामने ही तैयार कर इन्हें देने हेतु टेबल पर रखा था, जो अभी भी इसी कम्पयुटर टेबल पर एक प्लास्टिक में रखे हुए हैं। बरामदे में कम्पयुटर टेबल पर एक प्लास्टिक में रखे दस्तावेजात की तरफ ईशारा कर परिवादी ने भी इसे अपना होना बताया। जिस पर उक्त प्लास्टिक की थैली स्वतन्त्र गवाह श्री घमण्डाराम फायरमैन से खुलवाकर अन्दर रखे दस्तावेजात चैक किये गये तो परिवादी के भाई श्री आम्बदान पुत्र श्री रामचन्द्रदान व माता श्रीमति एंजना कंवर पत्नि श्री रामचन्द्रदान के नाम के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत (टांका, बेरी, खडीन, भूमि समतलीकरण आदि) कार्य करवाने हेतु दो अलग-अलग आवेदन पत्र प्रत्येक पृष्ठ सं. 01 से 12 तक, उक्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित के फोटो लगे होकर विवरण अंकित हैं, तथा आवेदन पत्रों के पृष्ठ सं. 04 पर आवेदकों के कृषि भूमि का विवरण अंकित होकर इन पर आरोपित पटवारी श्री रामूलाल के कार्यालय मौहर सहित हस्ताक्षर मय दिनांक 26.07.2024 में अंकित हैं, इस संबध में परिवादी ने बताया कि अभी कुछ देर पहले पटवारी जी ने मेरे से पैसे लेकर इन पर भूमि विवरण अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये थे, ये कागजात चार-पांच दिन पूर्व मैंने पटवारी जी को दिये थे। इसके अलावा खसरा सं. 61 श्रीमति ऐंजनादेवी पत्नि श्री रामचन्द्रदान, खसरा सं. 59 आम्बदान पुत्र श्री रामचन्द्रदान, खसरा सं. 1226/437 माकोरकंवर पत्नि वैणीदान वगैरा, खसरा सं. 964/443 रामचन्द्र पुत्र लालदान व खसरा सं. 1002/453 वैणीदान पुत्र रामचन्द्रराम की जमाबन्दी व नक्शे की दो-दो प्रमाणित प्रतियां पाई गई, जो आरोपित पटवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर मय कार्यालय मौहर से दिनांक 24.07.2024 में प्रमाणित सुदा थी, इस संबध में परिवादी ने बताया कि ये मेरे, मेरे भाई, माता-पिता व पत्नि के

नाम से आई हुई कृषि भूमि का रेकर्ड जो मुझे सोसायटी खातों की साख सीमा बनाने हेतु आवश्यक हैं। रेकर्ड के संबध में परिवादी से चर्चा करने पर परिवादी ने बताया कि नरेगा योजना के मेरे भाई आम्बदान व मेरी माता ऐजन कंवर के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे आवेदन पत्रों की आवश्यकता हैं, जबकि कृषि भूमि की जमाबन्दी व नक्शे की दो-दो प्रमाणित प्रतियां होने से मुझे इनकी एक-एक प्रमाणित प्रति की आवश्यकता हैं, इसलिए उक्त रेकर्ड मुझे दिया जाये, जिस पर नजदीक ही स्थित फोटो कॉपी दुकान से दोनों नरेगा आवेदन पत्रों की एक-एक फोटो प्रति करवाई गई, ताबाद दोनों मूल आवेदन पत्र एंव एक-एक जमाबन्दी व नक्शें की प्रमाणित प्रतियां अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी को सुपुर्द कर आवेदन पत्रों की छाया प्रतियों व जमाबन्दी व नक्शे की प्रमाणित प्रतियों पर परिवादी एंव अन्य संबधितान के हस्ताक्षर करवाकर प्रकरण के अनुसंधान में आवश्यकता होने से कब्जा ब्यूरो लिया गया। प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री रामूलाल पटवारी, पटवार हल्का बींजासर, तहसील धणाऊ, जिला बाड़मेर मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक तथा आरोपित श्री रामूलाल पटवारी की मौजूदगी में आरोपित के आवासीय रूम व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी ली जाकर खाना तलाशी कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. नं. 328 के निजी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी करवाई जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी की नियमानुसार डब मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड को सील्ड करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात रूबरू गवाहान परिवादी श्री वैणीदान की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक, दोनां० स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक एंव परिवादी श्री वैणीदान के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं प्राईवेट वाहन अर्टिगा नं. आर.जे. 39 यूए 0469 मय चालक श्री धर्मसिंह के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, टैम्प बॉक्स मय मालखाना आईटम्स आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 2000 रू. का पैकेट मार्क-एम, आरोपित के पैण्ट का सील्डयुक्त पैकेट मार्क-पी. एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ग्राम बींजासर में राजकीय विद्यालय के पुराने भवन के आगे आम ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित से सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम बींजासर से रवाना होकर पुलिस थाना धणाऊ पंहुच, थाने में थाना प्रभारी से मौखिक अनुमति प्राप्त कर थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर परिवादी श्री वैणीदान एवं आरोपी श्री रामूलाल पटवारी के मध्य दिनांक 24.07.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री वैणीदान के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया, एवं दूसरी सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री वैणीदान द्वारा की गई। रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री रामूलाल पटवारी की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश आरोपित के साथी कॉर्मिकगण श्री दिलीपकुमार पटवारी धणाऊ व श्री गोविन्द सोलंकी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय धणाऊ को रूबरू मौतबिरान सुनवाये जाकर आरोपित पटवारी के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री रामूलाल पटवारी" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री रामूलाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धणाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री रामूलाल पटवारी को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार उसके साथ राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन में निवासरत एंव उनके गांववासी श्री बाबूलाल मीणा हाल कनिष्ट सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बींजासर को अज खुद पुलिस थाना धणाऊ पर उपस्थित आने से रूबरू दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपित का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर

मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। ताबाद परिवादी श्री वैणीदान एवं आरोपी श्री रामूलाल पटवारी के मध्य दिनांक 26.07.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री वैणीदान के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "एल" अंकित किया गया, एवं दूसरी सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री वैणीदान द्वारा की गई। तत्पश्चात परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम.-1 अंकित किया गया। इसी प्रकार परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड मांग लेन-देन वार्ता मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम.-2 अंकित किया गया। ताबाद दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री वैणीदान की उपस्थिति में वक्त ट्रेप रिश्वती राशि की बरामदगी एंव राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन में स्थित आरोपित के आवासीय रूम व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. नं. 328 के निजी मोबाईल में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB मूल ही कानि. के निजी मोबाईल से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग (रिश्वती राशि बरामदगी कार्यवाही के दो फोल्डर व आरोपी के आवासीय व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी का 01 फोल्डर) के कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से रिश्वती राशि बरामदगी कार्यवाही के दो फोल्डर का एक डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी व इसी प्रकार कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से आरोपित के आवासीय व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी फोल्डर का भी एक डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी तैयार करवाने हेतु मूल मेमोरी कार्ड को कार्यालय लेपटॉप से जोड़ा गया तो मेमोरी कार्ड करेप्ट होना पाया, जिसमें ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग के फोल्डर दिखने के बजाय अन्य नामों के असंख्य फोल्डर एंव फाईल्स नजर आने लगी, जिस पर उक्त मूल मेमोरी कार्ड को पुनः श्री लालाराम के निजी मोबाईल में डालकर चैक किया तो मोबाईल में भी मेमोरी कार्ड करेप्ट बताया एंव फोरमेट का ऑप्शन दिखने लगा, जिस पर उक्त मेमोरी कार्ड को फोरमेट करने बजाय पुनः मोबाईल में से बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम-3 अंकित कर उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री वैणीदान से संबधित कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री वैणीदान को बमुकाम पुलिस थाना धणाऊ से फॉरिक किया गया। तत्पश्चात रूबरू मौतबिरान व आरोपी श्री रामूलाल पटवारी की मौजूदगी में वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी के दौरान आरोपी श्री रामूलाल पटवारी से बरामदा एक मोबाईल वन प्लस टू टी फाईव जी कंपनी के अवलोकन से परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता होना एंव वॉट्सऐप पर आरोपित पटवारी व तहसीलदार सेड़वा के मध्य संदिग्ध लेन-देन की चेटिंग होना व उक्त चेटिंग के बारे में आरोपित पटवारी द्वारा तहसीलदार को समय-समय पर मांगने पर खर्चा-पानी के रूप पैसे देने का कथन करने से उक्त संदिग्ध चेटिंग का स्क्रीन शॉट प्रकरण में वांछित होने से आरोपित के मोबाईल वॉटसएप को लेपटॉप से कनेक्टर कर स्क्रीन शॉट का प्रिण्ट-आऊट निकालकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस संबध में जांच हेतु तहसीलदार श्री अमीन खां की तलबी करवाई तो उसका मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया एंव कार्यालय से भी रूपोश होना पाया गया। इस संबध में अग्रिम अनुसंधान हेतु आरोपी श्री रामूलाल पटवारी का उक्त मोबाईल प्रकरण में वांछित होने से अनुसंधान अधिकारी के अवलोकन एंव विश्लेषण हेतु खुली हालत में रखा जाकर स्वीच ऑफ कर रूबरू गवाहान चेपायुक्त कर कब्जा ब्यूरो लिया जाकर मोबाईल चेपा पर मार्क-आर. अंकित कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मोबाईल हस्ब कायदा मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त मोबाईल का स्क्रीन लॉक अंग्रेजी में एस हैं। मोबाईल में मौजूद संदिग्ध चेटिंग, इस संबध में आरोपित श्री रामूलाल पटवारी द्वारा बताये गये तथ्यों एंव वक्त कार्यवाही श्री अमीन खां तहसीलदार सेड़वा का अनुसंधान में सहयोग नहीं कर

कार्यस्थल से रूपोश होने आदि के मध्यनजर तहसीलदार की संदिग्ध भूमिका के संबध में विस्तृत अनुसंधान किया जाने की आवश्यकता हैं। मौके से संबधित उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त सुदा/मुर्तिबा मालखाना प्रादर्श धोवन की शीशियां मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच-2, पी.-1, पी.-2, पैण्ट पैकेट मार्क-पी., रिश्वती राशि 2000 रू. का सील्डयुक्त पैकेट मार्क-एम, रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मूल सीडी की सील्डयुक्त थेली मार्क-डी व डब सीडी, रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की मूल सीडी की सील्डयुक्त थेली मार्क-एल, मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली मार्क-एम.-1, मार्क एम.-2, मार्क एम-3 इत्यादि प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुरक्षार्थ सुपुर्द किये जाकर मन् किशनसिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक, दोनांे स्वतन्त्र गवाहान श्री घमण्डाराम फायरमैन व श्री मनोजकुमार कनिष्ट सहायक गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री रामूलाल पटवारी को हमराह लेकर राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं प्राईवेट वाहन अर्टिगा नं. आर.जे. 39 यूए 0469 मय चालक श्री धर्मसिंह के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, टेम्प बॉक्स मय उपरोक्त वर्णित मालखाना आईटम्स एंव मुर्तिबा फर्दात, कागजात अन्य आवश्यक सामग्री के पुलिस थाना धणाऊ से रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो बाड़मेर पंहुच उपरोक्तानुसार समस्त मालखाना प्रादर्श श्री सुराब खां हैड कानि. प्रभारी मालखाना के जिम्मे कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को फॉरिक किया गया। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रामूलाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धणाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री वैणीदान स्वयं तथा इनके अन्य पारिवारिक सदस्य माता, पिता, भाई एंव पत्नि आदि के सोसायटी की साख सीमा बढाने/रिन्युल करवाने हेतु परिवादी एंव इनके अन्य परिजनों के कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी व नक्शे की प्रमाणित प्रतियां देने तथा परिवादी के भाई श्री आम्बदान व माता श्रीमति एंजना कंवर के नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत (टांका, बेरी, खडीन, भूमि समतलीकरण आदि) कार्य करवाने हेतु इनके आवेदन पत्रों में भूमि रिकॉर्ड का इन्द्रांज कर हस्ताक्षर मय कार्यालय मौहर के करने की ऐवज में आरोपी श्री रामूलाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन दिनांक 24.07.2024 को 3000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर 1000 रू. प्राप्त किये एंव शेष 2000 रू. अतिशीघ्र लिया जाना एंव परिवादी का कार्य (राजस्व रेकर्ड देना व नरेगा आवेदन पत्रों में भूमि रेकर्ड का इन्द्रांज करना) करना तय किया जाने के फलस्वरूप दिनांक 26.07.2024 को आरोपित पटवारी के विरूद्ध स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपित को अपने आवास (राजकीय विद्यालय बींजासर के पुराने भवन में) पर परिवादी को उनकी कृषि भूमि की जमाबन्दियां व नक्शों की प्रमाणित प्रतियां व परिवादी के भाई व माता के नरेगा योजना लाभ लेने के आवेदन पत्रों में भूमि रेकर्ड का इन्द्रांज अपने कार्यालय मौहर मय हस्ताक्षर कर परिवादी को देकर तय सुदा रिश्वती राशि 2000 रू. प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रामूलाल पुत्र श्री रामगोपाल, जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम नाडी की ढाणी प्रतापपुरा, पोस्ट सुनारा, तहसील निवाई, जिला टोक, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर,.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशन सिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामूलाल पुत्र श्री रामगोपाल, जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम नाडी की ढाणी प्रतापपुरा, पोस्ट सुनारा, तहसील निवाई, जिला टोक, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बींजासर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री संग्राम सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 158 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 815-18 दिनांक 27.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2. जिला कलक्टर, बाड़मेर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sangram singh bhati **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/07/2024 10:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)